न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 69/2023

उनवान

1. कालूराम पुत्र सोहन लाल

2. नानगी देवी पत्नि सुरजमल

3. मन्नी देवी पत्नि धुडाराम

समस्त जाति गुर्जर, उम्र–व्यस्क, निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1.कन्हैयालाल पुत्र महादेव जाति बलाई, उम्र–व्यस्क, निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

2. कैलाश पुत्र कानाराम

3. जगदीश पुत्र कानाराम

4. बन्नालाल पुत्र धूणाराम उर्फ धूणीलाल

5. सन्तोष कुमार पुत्र धूणाराम उर्फ धूणीलाल

6. हरिप्रसाद पुत्र धूणाराम उर्फ धूणीलाल

7. भैरूराम पुत्र सुवा

8. मदनलाल पुत्र सुवा

9. साधुराम पुत्र सुवा

समस्त जाति बलाई, उम्र–व्यस्क, निवासी कांट, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

10. कमल पुत्र मालीराम, उम्र वयस्क, जाति गुर्जर, निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

11. बन्शी पुत्र रामनाथ

12. बन्नाराम पुत्र रामनाथ

13. कैलाश पुत्र रामनाथ

14. जयराम पुत्र घीसा

15. मूलचन्द पुत्र घीसा

16. रामस्वरूप पुत्र घीसा

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

17.महेन्द्र पुत्र धीसा समस्त जाति गुर्जर, उम्र–व्यस्क, निवासी डोड्या की ढाणी, देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

18. समदा राम पुत्र सुरज

19. सुभाष पुत्र सुरज

20. ओमप्रकाश पुत्र सुरज

21. पप्पूराम पुत्र सुरज

22. मिश्री देवी पत्नि बिरबल

23. टीकम पुत्र सोहन

24. जगदीश पुत्र सोहन

25. अशोक पुत्र सोहन

26. भंवरी पत्नि प्रभूदयाल
समस्त जाति गुर्जर, उम्र–व्यस्क, निवासी डोड्या की ढाणी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

27. सीताराम पुत्र पालाराम

28. हरि पुत्र पालाराम

29. रामदास पुत्र सायर

30. किशन पुत्र सायर

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

31. मिश्री देवी पत्नि मालीराम

32. राकेश पुत्र मालीराम

33. हरफूल पुत्र मालीराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

34. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्ना

35. साधुराम पुत्र धन्ना

36. हनुमान सहाय पुत्र धन्ना
समस्त जाति गुर्जर निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

37. जगदीश प्रसाद पुत्र काना

38. अशोक पुत्र काना

39. फूली देवी पत्नि काना

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

40. कालूराम पुत्र सोनाराम जाति गुर्जर, निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

41. योगेश पुत्र फूलचन्द

42. राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द

43. दिनेश पुत्र फूलचन्द

44. मनोज पुत्र फूलचन्द

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति गुर्जर निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

45. भैरूराम पुत्र नाथूराम, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी देवन, तहसील–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

46 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी सीमांकन (पत्थरगढी) अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक – 12/6/24

प्रार्थना–पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि हाल आराजी खसरा नं0–2616 रकबा 1.11 है0, 2625 रकबा 0.81 है कुल किता–2 कुल रकबा 1.92 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील – शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण हाल आबाद काबिज काश्त है। यहकि प्रार्थना पत्र के मद सं०–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिन्होने अपनी भूमि का दिनांक–16.06.2022 को श्रीमान् तहसीलदार–शाहपुरा, जिला जयपुर के आदेश कमांक / सीमा/2022/18 दिनांक–02.05.2022 की पालना में सीमाज्ञान खातेदार व पडौसी खातेदारान व मौतवीरान की उपस्थिति में किया गया है फर्द मौका सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र है। यहकि सीमाज्ञान दिनांक–16.06.2022 के बाद पडौसी खातेदार ने सीमा दबाना एवं सीमा विवाद करने लग गये है प्रार्थीगण की भूमि की सीमा पर स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है जिसके अभाव में आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यहकि हाल आराजी खसरा नं0–2615 के खातेदार गोपी पुत्र साधु, भैरू पुत्र साधु एवं महादेव पुत्र रामदेव की मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण उनके वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है एवं काना पुत्र गोपाल एव फूलचन्द पुत्र साधुराम की मृत्यु हो चुकी है उनके स्थान पर उनके काबिजदार वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। यहकि प्रार्थीगण हाल आराजी खसरा नं0–2625 एवं 2616 का रिकार्डेड खातेदार है एवं प्रार्थीगण हाल आबाद काबिज काश्त है प्रार्थीगण की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है ना ही अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार निहित रहा है। यहकि प्रार्थीगण ने नियमानुसार अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की भूमि पर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान दिनांक–16.06.2022 के अनुसार हाल आराजी खसरा नं0–2616 व 2625 स्थित वाकै ग्राम देवन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढ) किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9, 11, 14, 18 लगायत 22, 24, 25, 26, 27, 34 लगायत 36, 39, 40, 44, 45, 46 बावजूद तामील व सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध दिनांक 12.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी ने शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक पेश की। शेष अप्रार्थीगण भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उक्त शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.06.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजी का दिनांक 16.06.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 2616 रकबा 1.11 है० एवं 2625 रकबा 0.81 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 है० वाकै ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/6/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान